

FORM NO-IIIफर्द अहकाम
(नियम 26)

1115

#2019/00397
68/2019

अज अदालत- अपीलीय अधि० एवं जिला कलक्टर मुकाम अजमेर
जगदीश एडवोकेट बनाम लोक सूचना अधि० एवं प्रभारी अधि० राजस्व शाखा, कले०, अजमेर
किस्म मुकदमा-सूचना का अधिकार अधि.-2005 प्रकरण संख्या 68 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हए
26/9/19	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट की अपील का मूल आवेदन, पत्रादि सहित अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलेक्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपील के सन्दर्भ में वांछित टिप्पणी स्मरण पत्र के बावजूद आज दिनांक तक प्रेषित नहीं की है, जो खेदजनक है। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलेक्ट्रेट, अजमेर को निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध, देय सूचना/विनिश्चय से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही सम्बन्धित शाखा में सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त पत्रादि/आवेदनों का व्यवस्थित संधारण करने हेतु सम्बन्धित को पाबन्द करावें, ताकि अपीलोत्तर एवं सूचना प्रदान करने में विलम्ब ना हों। अपील, अपीलान्ट इसी कदर से निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर, अजमेर